

सेवा में,  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नागरपरिषद, इंदूरमिराजिलेखा

विषय :- मौजा-क्षलपी, वार्ड नं०:- 7 इंतर्गत- भूमि का  
रजस्व रसीद गद्दी करने के संबंध में।

महाराज, मुझे कहना है कि विषयवस्तु मौजा  
इंतर्गत में रजस्व नं०:- 8, प्लॉट नं०-140  
में 2.11.2019 ई. में भूमि क्रय किया है, इससे  
संबंधित दाखिल-वारीज की दवाया प्रति खंफ  
अर्ज अर्जिलेख संलग्न है।

अतः उक्त के संबंध में अनुशोध  
है कि अर्जिलेख मौजा :- क्षलपी वार्ड नं०:- 7 का  
रजस्व रसीद 1 रु से कम लगान रद्द करने के  
कारण वर्तमान में आजलाइल लगान रसीद  
निरत गद्दी हो रही है। अतः समितिलेखका कीर्तव्य  
है कि प्रदान किया जाय।  
सूचनाओं पर समर्पित।

विहवालाचाराज

नाम :- इन्द्राय

3/05/2019

पिता :- श्री चंद्रमणिशार प्रसाद

वार्ड नं० :- 7, क्षलपी

पिन :- इंदूरमिराजिलेखा

मो नं० :- 8709734692

**JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD**

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संपत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 452585100519012323

Date : 10-05-2019

प्रभावी : 1 2018-2019

श्री/श्रीमती/शुश्री AJAY S/O YUGAL KISHOR PRASAD,

मोहल्ला VIDYAPURI MOHALA WARD NO 7 JHUMARITELAIYA , 8709734692  
KODERMA , 825409

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0070000865000M0 वार्ड सं. 7 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	21.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		21.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। विद्यमान दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से रहत पावे।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान कैलेंडरिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घुति को निर्दिष्ट समावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय आंध यथा समय निगम करा सकते है एवं तथ्य गतत धार जानें पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित क्षति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतलौदाओं को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है औरया न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नंओं का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

**NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.**

Print

Ajay

To be signed by the Applicant

18/05/19



# JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संपत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 34572150517040940

Date : 15-05-2017

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री SANJAY KUMAR BHADANI S/O MADHU SUDHGAN RAM,  
मोहल्ला JHALPO ROAD VIDYAPURI JHUMRI TELAIYA JHUMRI TELAIYA 7209801381  
KODERMA , 825409

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0070000051000A1 वार्ड सं. 7 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 39900/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं.	स्व-निर्धारित कर की सूचना	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	200.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	100.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		300.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो संपत्ति कर का 50% होगा।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सार्धारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस संपत्ति कर इन इमरतों/ठोंकों को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मात्तिकों/दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विरिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

**NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.**

Sanjay Kumar Bhadani

To be signed by the Applicant

Atom




## कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा

आपांक 149

दिनांक 03.08.2018

श्री हरैकृष्णा प्रसाद, राजस्व कर्मचारी एवं श्री हरैकृष्णा प्रसाद, (प्रभारी) ग्राम निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार आतेदक/आतेदिका श्री दिनबन्धु प्रसाद गदानी, पिता/पति श्री मधुसुदन राम, ग्राम- झलपो, वार्ड नं०- 07, पो गुमर्गिलैया, थाना- तिलैया, जिला कोडरमा के निवासी हैं। गौजा- झलपो थाना नं०- 01, खाता नं०- 08, प्लॉट नं०- 140, रकबा 17.25 बी०, लगान- 0.40 रु० भूमि पंजी II के पृष्ठ सं०- 257 भोलुम 1 में श्री मधुसुदन राम पिता- देव नारायण राम के नाम से ऑनलाईन जमावदी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में ऑनलाइन नं०- 45 वर्ष 2017-2018 दर्ज है। उक्त खाता सैथती खाता का भूमि नं०- 01 गौजा- झलपो थाना नं०- 01 का सर्वे खतियान ऑनलाईन नहीं हुआ है, एवं एक, खाता, कम लगान रहने के कारण वर्तमान में ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है।

  
03/08/2018  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा

Asam